संख्या-02/2021/138/83-21-10बजट/19टीसी

प्रेषक,

राजन शुक्ला,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त सचिव/आहरण वितरण अधिकारी,
होमगार्ड्स,नागरिक सुरक्षा एवं
राजनैतिक पेंशन विभागए लेखा अनुभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

नागरिक सुरक्षा अनुभाग लखनऊ: दिनांक 01 अप्रैल,2021

विषय:वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये नागरिक सुरक्षा अनुभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अधीन लेखाशीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-106-सिविल रक्षा-03-राज्य मुख्यालय स्थापना-0301-सामान्य के अंतर्गत व्यवस्थित धनराशि रूपये-82.20 लाख (रूपये बयासी लाख बीस हजार मात्र) में से रूपये-62.10 लाख (रूपये बासठ लाख दस हजार मात्र) की स्वीकृति संलग्न विवरण के अनुसार आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं;

1. आवंटित धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय।
2. स्वीकृत धनराशि के कोषागार से आहरण की फेजिंग कर ली जाय,जो सामान्यत, दो माह की आवश्यकता से अधिक न हो।
3. व्यय की तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही स्वीकृत धनराशि का आहरण किया जायेगा।
4. प्रत्येक माह में होने वाले व्यय का मदवार विवरण अगले माह की 05 तारीख तक अनिवार्यतः शासन को उपलब्ध कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://Shasanadesh.up.nic.in

5. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में महालेखाकार (लेखा परीक्षा)(प्रथम)उ0प्र0,इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही व्यय की गयी धनराशि का मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी0एम0-13 में वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-12 एवं शासन को उपलब्ध कराया जाय।
6. उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा महालेखाकार(लेखापरीक्षक)(प्रथम),उ0प्र0, इलाहाबाद व उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच के लिये उपलब्ध रहेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 द्वारा प्रदत्त निर्देश के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,
राजन शुक्ला
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-02/2021/138/83-21-10 बजट/19 टीसी, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)(प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. निदेशक,वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय,जवाहर भवन,लखनऊ।
3. कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।
4. वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-12,उत्तर प्रदेश शासन।
5. वित्त(बजट)अुनभाग-1,उत्तर प्रदेश शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुनील यादव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-02/2021/138/83-21-10बजट/19 टीसी,दिनांक 01अप्रैल,2021का संलग्नक

अनुदान संख्या-27-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-106-सिविल रक्षा-03-राज्य मुख्यालय-स्थांपना-0301-सामान्य	मदवार प्राविधानित धनराशि (रूपये लाख में)	आवंटित धनराशि (रूपये लाख में)
01- वेतन	54.69	45.00
03-महंगाई भत्ता	16.41	12.00
04-यात्रा व्यय	0.50	0.20
06-अन्य भत्ते	---	---
07-मानदेय	0.50	0.30
08-कार्यालय व्यय	1.00	0.10
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.50	----
46-कम्प्यूटर/हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1.50	----
47-कम्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	1.00	----
49-चिकित्सा व्यय	3.00	2.50
51-वर्दी	0.10	----
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	----	----
55-मकान किराया भत्ता	3.00	2.00
56- नगर प्रतिकर भत्ता	----	---
योग---	82.20	62.10
रुपये बासठ लाख दस हजार मात्र		

सुनील यादव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in